फर्द अहकाम

जितेन्द्र सिंह बनाम प्रेमवती वगैरा

A C & I M (E.T.)
SHAHPURA (JAIPUR)
[illegible]0/2025

दावा

तारीख	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष

[illegible]

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रतिवादी उपस्थित। वादी एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं। वकील प्रतिवादी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रति उक्त वाद-पत्र के संलग्न प्रा०पत्र T.I. में दिनांक 26/9/25 को वकील वादी द्वारा मुल्तवील प्रार्थना-पत्र पेश किया गया, जिसका जवाब दिलवाया जा चुका है एवं इसके उपरांत प्रकरण में आ०ता०पेशी 3/10/2025 व इसके उपरांत 10/10/2025 नियत की गई एवं ता०पेशी 10/10/2025 को वकील वादी द्वारा हिदायत पैरवी नहीं करना जाहिर किया गया। अर्थात् लगभग 15 दिवस पूर्व पक्षकार वकील वादी के सम्पर्क में थे परन्तु अब नहीं, इससे जाहिर होता है कि प्रकरण को अनावश्यक रूप से लंबित किया जा रहा है। प्रकरण में न्यायालय द्वारा आदेश दिये जाने उपरांत प्रा०पत्र 07R11 CPC का जवाब पेश नहीं किया गया एवं शेष प्रतिवादीगण की तामील भी नहीं करवाई गई, जो कि न्यायालय आदेश की अवहेलना है एवं Delay tactics है।

उपर्युक्त विवेचनों से जाहिर होता है कि वादी व वकील वादी की प्रकरण में रुचि नहीं रही है एवं प्रभावी पैरवी के अभाव का आभास स्पष्ट रूप से जाहिर होता है। अतः प्रकरण में CPC के प्रावधानों की पालना नहीं करने से एवं न्यायालय आदेश की अवहेलना करने से पत्रावली अदम तकमील में खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णीत शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो व दर्ज नंबर से कम हो।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

फर्द अहकाम

विजेन्द्र सिंह **बनाम** प्रेमवती वगैरा

A. C. & E. M. (F. T.)
SHAHPURA (JAIPUR)

60/2025 दावा

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
15/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रतिवादी उपस्थित। वादी एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं। वकील प्रतिवादी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि उक्त वाद-पत्र के संलग्न प्रा०पत्र T.I. में दिनांक 26/9/25 को वकील वादी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना-पत्र पेश किया गया, जिसका जवाब किया जा चुका है एवं इसके उपरांत प्रकरण में आ०ता०पेशी 3/10/2025 व इसके उपरांत 10/10/2025 नियत की गई एवं ता०पेशी 10/10/2025 को वकील वादी द्वारा हिदायत पैरवी नहीं करना जाहिर किया गया। अर्थात् लगभग 15 दिवस पूर्व पक्षकार वकील वादी के सम्पर्क में थे परन्तु अब नहीं, इससे जाहिर होता है कि प्रकरण को अनावश्यक रूप से लंबित किया जा रहा है। प्रकरण में न्यायालय द्वारा आदेश दिये जाने उपरांत प्रा०पत्र 07R11 CPC का जवाब पेश नहीं किया गया एवं शेष प्रतिवादीगण की तामील भी नहीं करवाई गई, जो कि न्यायालय आदेश की अवहेलना है एवं Delay tactics है। उपर्युक्त विवेचनों से जाहिर होता है कि वादी व वकील वादी की प्रकरण में रुचि नहीं रही है एवं प्रभावी पैरवी के अभाव का आभास स्पष्ट रूप से जाहिर होता है। अतः प्रकरण में CPC के प्रावधानों की पालना नहीं करने से एवं न्यायालय आदेश की अवहेलना करने से पत्रावली अदम तकमील में खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो व दर्ज नंबर से कम हो। सहायक कलक्टर	